"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जनवरी 2004—पौष 30, शक 1925

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2004

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-32/खाद्य/2002/29.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (क्र. 10 सन् 1955) की धारा 3 सहपठित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के आदेश क्रमांक जी. एस. आर. 104 (ई) दिनांक 15-2-2002, भारत सरकार खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) जी. एस. आर. 452 (ई) दिनांक 25-10-1972 तथा खाद्य एवं सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) जी. एस. आर. क्रमांक 800 दिनांक 9-6-1978 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश 1991 को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विखंडित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2004

क्र. एफ 10-32/खाद्य/2002/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-32/खाद्य/2002/29, दिनांक 16-1-2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 16th January 2004

NOTIFICATION

No. F 10-32/Food/2002/29.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with the order of the Government of India of Consumer Affairs Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) No. G. S. R. 104 (E) dated 15th February, 2002, the Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) G. S. R. 452 (E) dated 25th October 1972 and the Ministry of Food and Irrigation (Department of Food) G. S. R. No. 800 dated 9th June, 1978, the State Government hereby rescind the Chhattisgarh Scheduled Commodities Dealers (Licensing and Restriction on Hoarding) Order 1991 with effect from the date of publication of this notification in the official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOHAR PANDE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.